राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– स.3(21)(6)स्था./मंत्रा/विविध/अभि/2020/9060-162 दिनांक :– 14/08/2020
प्रेषितिः–

समस्त उप निदेशक अभियोजन
राजस्थान।
समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषयः– कनिष्ट सहायको के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के आवेदन पत्र भिजवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रायः देखा गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिको द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता है एवं न ही उप/सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की अनुमति कार्मिको को दी जाये या नही दी जायें के सम्बन्ध में अपनी अनुशंषा भी व्यक्त नही की जाती है। जिससे प्रकरणों के निस्तारण में काफी कठिनाई एवं अधूरे प्रकरण प्राप्त होने पर वापिस संबंधित कार्यालय से पूर्ति करवाने में राज्य सरकार का अनावश्यक आर्थिक व्यय होता है।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन पदस्थापित कार्मिको के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र का पूर्ण रूप से नियमानुसार परीक्षण कर एवं निम्न प्रारूप में प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम, पद व पदस्थापन	परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का पूर्ण नाम व पता	परीक्षा का पूरा नाम जिसके लिए अनुमति चाही गयी।	परीक्षा भर्ती वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

14/8/20
(जगदीश कुन्तल)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय), राजस्थान जयपुर